राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2010 - 2011

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 017 (राजस्थान)

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन

1. पृष्ठभूमि

राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए आधारभूत, संस्थागत–व्यावसायिक, पुनश्चर्या एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिकारी प्रशिक्षणालय (ओ.टी.एस.) (Officers Training School-OTS) की स्थापना 14 नवम्बर, 1957 को जोधपुर में की गई। 2 वर्ष पश्चात् सन् 1959 से यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान संवर्ग) के परीवीक्षार्थियों का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात्, जनवरी 1963 में ओ.टी.एस. को जोधपुर से जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। मालवीय नगर में संस्थान के भवन बनने तक अधिकारी प्रशिक्षणालय (ओ.टी.एस.) ने जयपुर के पीरामल का होटल, बनीपार्क में कार्य किया। तीन वर्ष बाद मालवीय नगर स्थित मालवीय रीजनल इंजीनीयरिंग कॉलेज के पास संस्थान को आवण्टित भूमि पर एक भव्य भवन तैयार करवाया गया जो पटेल भवन के नाम से विख्यात है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाडिया ने 15 अक्टुम्बर 1966 को अधिकारी प्रशिक्षणालय के इस नवनिर्मित पटेल भवन का उद्घाटन किया। इस प्रकार, अधिकारी प्रशिक्षणालय ने अपने नवीन भवन में कार्य करना प्रारम्भ किया। सन् 1959 में राजस्थान काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये विशिष्टिकृत संस्थानिक प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया जिसमें जिला एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण सम्मिलित कर लिया गया। सन् 1961 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण पर राज्य स्तरीय समिति की अभिशंसा पर जयपुर से पृथक से कार्य कर रहे लेखा प्रशिक्षणालय का संस्थान में विलय कर दिया गया।

सन् 1969 में राजस्थान के कुशल प्रशासक एवं सांसद स्वर्गीय श्री हरिश चन्द्र माथुर (22 जून 1904–12 जून 1968) की स्मृति को चिर–स्थाई बनाने के उद्देश्य से अधिकारी प्रशिक्षणालय का नाम बदल कर ''हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान'' (HCM State Institute of Public Administration-HCM SIPA) रखा गया। उनकी स्मृति में गठित एच.सी. माथुर मेमोरियल सोसायटी की ओर से उनकी एक मूर्ति संस्थान में लगायी गयी जिसका अनावरण राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डा. एम. चेन्नारेड्डी ने दिनांक 16 अगस्त 1992 को किया। समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने की। 14 नवम्बर 1981 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिव चरण माथुर ने संस्थान के नेहरू भवन का शिलान्यास किया। 19 अगस्त 1983 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जैल सिहँ ने नव निर्मित नेहरू भवन का उद्घाटन किया। इस प्रकार संस्थान का कार्य पटेल भवन व नेहरू भवन में संचालित होना प्रारम्भ हो गया। पटेल भवन में सम्मेलन कक्ष व आधारभूत प्रशिक्षण के अध्ययन कक्ष व आपदा प्रबन्ध केन्द्र है जबकि नेहरू भवन प्रशासनिक भवन है जहाँ संस्थान प्रमुख व संकाय अधिकारियों के कक्ष है। यहाँ भगवत सिँह मेहता सभागार, सुसज्जित अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, कम्प्यूटर केन्द्र अवस्थित है।

सन् 1982 में संस्थान ने स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रजत जयन्ती मनायी। 1 दिसम्बर 1982 में राज्य सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित उदयपुर स्थित ओरिएन्टेशन स्टडी एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (यह ओ.टी.सी. के नाम से सामुदायिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सन् 1958 में स्थापित किया गया था) का भी इस संस्थान में विलीनीकरण कर दिया गया जिसके फलस्वरूप इस केन्द्र को संस्थान के उदयपुर परिसर का नाम दिया गया। अप्रैल 1983 में संस्थान के नाम में 'राजस्थान' शब्द जोड़कर संस्थान को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM Rajasthan State Institute of Public Administration-HCM RIPA) के रूप में पुर्ननामित किया गया। वर्तमान में यह एच.सी.एम. रीपा के नाम से देश में विख्यात है।

सन् 1983 में लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में स्थापित किये गये। इन केन्द्रों को क्रमशः हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर एवं हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कोटा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में संस्थान द्वारा जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा स्थित सम्भागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सन् 1983 में लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु क्षेत्रीय लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में, स्थापित किये गये। इस प्रकार, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर मुख्यालय के साथ परिसर उदयपुर व क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर, जोधपुर व कोटा कार्यरत है।

2. दृष्टि

लोक सेवकों को समग्र एवं समता–आधारित रूपान्तरण के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में सशक्त करते हुऐ उत्तम शासन व उन्नत सेवा प्रदाय के लिये उपयोगी प्रवृत्तियाँ स्वीकार करने में राजकीय विभागों एवं अन्य संस्थाओं की सहायता करना।

3. ध्येय

संगठन में कार्य करते हुए सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से लोक सेवकों की वर्तमान एवं भावी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उनमें अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने हेतु एक संस्थानिक ढांचा तैयार करना।

4. प्रशासन

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान अन्य राजकीय विभागों की भांति एक राजकीय विभाग है जिस पर राज्य सरकार का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण है। संस्थान के प्रमुख महा निदेशक है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से लिये जाते है। वे राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। संस्थान का मुख्यालय जयपुर में है व क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र क्रमशः उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में स्थित है। संस्थान का संगठनात्मक विवरण चार्ट–1 व 2 निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया हैः–

संगठनात्मक चार्ट–1

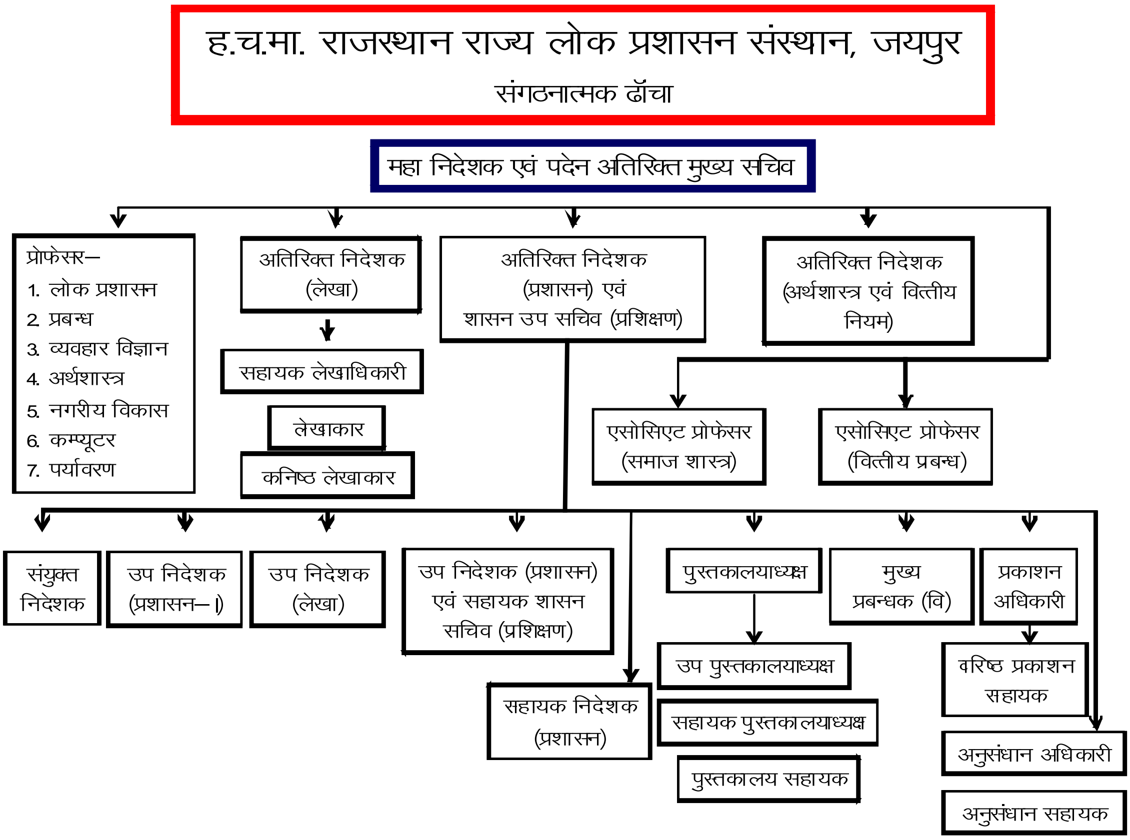

संगठनात्मक चार्ट–2

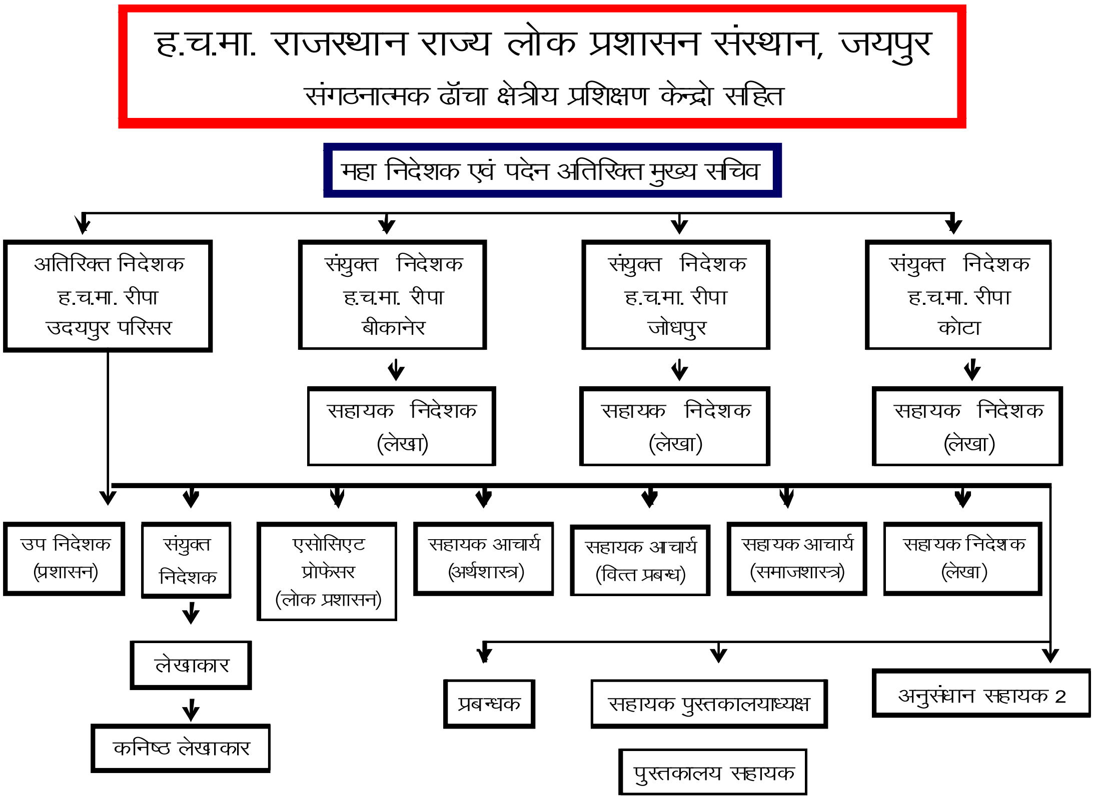

संस्थान के अधीन 3 केन्द्र कार्यरत है जो क्रमशः प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र (Centre for Management Studies), (वर्ष 1982 में स्थापित), महिला एवं बाल संसाधन केन्द्र (Women and Child Resource Centre) (वर्ष 2000 में स्थापित) एवं सेण्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (Centre for Good Governance) (वर्ष 2004 में स्थापित) कहलाते है। ये तीनों राजस्थान समाज पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत निकाय है।

5. उद्देश्य

ह.च.मा. रीपा का प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रशासन में सतत् सुधार के लिये सहायता देना है ताकि उत्तरोतर विकास के लिये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में राज्य प्रशासन योग्य हो सकें। इस लक्ष्य की ओर संस्थान सदैव यह प्रयत्न करता है कि :

- लोक सेवा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये लोक सेवकों में मनोवृत्ति परिवर्तन लावे व उन्हें अधिक उत्तरदायी व जिम्मेदार बनावें,
- प्रशिक्षण की प्रक्रिया के जरिये सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्मिकों के कौशल का विकास करें,
- क्रियात्मक अनुसंधान व व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से विभिन्न नीतियों व कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को सहायता दे, व
- प्रशिक्षण प्रविधियों समेत प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में राज्य में अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को नेतृत्व व मार्गदर्शन प्रदान करें।

6. मुख्य कार्यक्षेत्र

ह.च.मा. रीपा ने प्रशिक्षण, परिचालनात्मक अनुसंधान अध्ययनों व परामर्श कार्यो के लिये निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्षेत्रों का चयन किया हैः–

- सुशासन
- लोक नीतिः प्रक्रिया एवं नीति के मूलभूत तत्व
- वित्तीय प्रबंध एवं प्रबंधकीय लेखांकन
- लोक सेवा प्रबंध एवं लोक सेवा प्रदाय
- लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन व संगठनात्मक व्यवहार
- आपदा प्रबंधन
- महिला एवं बालको से संबंधित मामले / जेण्डर इश्यूज / जेण्डर बजटिंग
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (डिजाइन, डिलीवरी, प्रशिक्षण का प्रबंध एवं आवश्यकता विश्लेषण)
- शासकीय नियम एवं विनियम
- ई–शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- विधि एवं राजस्व प्रशासन
- बहु–स्तरीय नियोजन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंध समेत विकेन्द्रित योजना एवं विकास प्रशासन
- लोक–निजी सहभागिता
- शहरी विकास एवं शहरी सेवा प्रबंध

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर भूमण्डलीकरण के विभिन्न प्रभावों का प्रबंध करने के लिये अनुक्रियाएँ विकसित करना
- स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, खा़द्य सुरक्षा, मानव विकास समेत सामाजिक विकास आदि
- व्यापार विनियोग एवं वैश्वीकरण
- सूचना का अधिकार
- वैट
- मानवाधिकार

7. कार्य

इस संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :

- राज्य सेवाओं के अधिकारियों हेतु आधारभूत एवं संस्थानिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के परीवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।
- राज्य के विभिन्न संवर्गों/विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
- राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ और राज्य की नीति व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधक विषयों पर चर्चाएं आयोजित करना।
- सार्वजनिक नीतियों और कार्यक्रमों के प्रबन्ध में प्रभावी सुधार लाने हेतु नवीन विचार और अवधारणाएँ प्रतिपादित करना।
- विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को नवीन प्रशिक्षण तकनीकों को विकसित करने, उसका प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

8. उपलब्धियां

संस्थान में वर्ष 2010–2011 के दौरान आदिनांक तक रीपा तथा इसके अधीन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के द्वारा 391 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके जरिये कुल 10292 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। विगत पांच वर्षो में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उनसे लाभान्वित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निम्न प्रकार से है :

तालिका संख्या : 1

क्र.स.	वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1	2006–2007	411	12332
2	2007–2008	433	11196
3	2008–2009	420	9498
4	2009–2010	346	8926
5	2010–2011	391	10292

9. प्रशिक्षण गतिविधियाँ/कर्त्तव्य

यह संस्थान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए राज्य स्तर का शीर्ष प्रशिक्षण केन्द्र है और देश के अग्रणीय प्रशिक्षण संस्थानों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

संस्थान में प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य योजना अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यो के सफल संचालन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :

(अ) विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(ब) भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना।

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम (टी.डी.पी.) के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर के प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल कार्यक्रम, प्रशिक्षण डिजाईन, प्रशिक्षण का प्रबंध, प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण, प्रशिक्षण का मूल्यांकन आदि विषयों पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यह संस्थान इन क्षेत्रों में भी अपने प्रशिक्षित संकाय सदस्यों की सहायता से अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

प्रशिक्षण के प्रारम्भ में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित प्रपत्र देकर पंजीयन कराया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण, अतिथि वक्ताओं तथा अन्य समस्त व्यवस्थाओं जैसे प्रशिक्षण संरचना, समय सारिणी, भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था आदि का मूल्याकंन कराया जाता है। संस्थान द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्यरत संकाय सदस्यों उनके शैक्षिक एवं व्यवसायिक विकास हेतु देश की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में विविध विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए समय–समय पर मनोनीत किया जाता है।

महत्वपूर्ण विषयों पर गोष्ठियां तथा विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा चर्चा, समकालीन महत्व के विषयों पर समय–समय पर राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं तथा विषय विशेषज्ञों की चर्चाएं/अभिभाषण कराये जाते हैं।

संस्थान से बाहर अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में संस्थान के संकाय सदस्यों को विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किये जाने पर सम्भाषण देने के लिये भेजा जाता है। इसके साथ ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सौजन्य से विकसित किये गये संस्थान के प्रधान प्रशिक्षक एवं मान्यता प्राप्त प्रयोक्ता प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण व प्रधान प्रशिक्षण/मान्यता प्राप्त प्रयोक्ता विकास कार्यक्रम संचालित करने हेतु भी भेजे जाते है।

संस्थान में वर्ष 2010–2011 के दौरान रीपा तथा इसके अधीन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आदिनांक तक विभिन्न प्रकार के 391 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनके जरिये कुल 10292 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिनका विवरण परिशिष्ट–1 में है।

आलोच्य अवधि में विभिन्न विषयों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उसमें भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या परिशिष्ट–2 व 3 में अलग अलग दर्शायी गयी हैं।

10. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समितियाँ

सन् 1985 में राज्य सरकार द्वारा एक राज्य प्रशिक्षण सलाहकार समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति के स्थान पर सन् 2005 में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर ने 2 समितियों का गठन किया गया है। इनका विवरण इस प्रकार हैः–

1. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति–आधारभूत, संस्थागत–व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या एफ.6(40)एआर/3/2005 दिनांक 29.08.2005 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्य सेवाओं के लिये राज्य स्तरीय सलाहकार समिति–आधारभूत, संस्थागत–व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों, लक्ष्यों, अवधि, पात्रता, विषय वस्तु, प्रशिक्षण रूपरेखा एवं पाठ्य सामग्री विकास, परियोजना कार्य आदि बिन्दुओं की समीक्षा हेतु गठित समिति का विवरण इस प्रकार हैः–

- मुख्य सचिव, राजस्थान — अध्यक्ष
- अध्यक्ष राजस्व मण्डल — सदस्य
- महा निदेशक, ह.च.मा. रीपा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव वित्त — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव गृह — सदस्य
- सचिव शासन कार्मिक — सदस्य
- सचिव शासन आयोजना — सदस्य
- उप शासन सचिव (प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा — सदस्य सचिव

उक्त समिति विभिन्न स्तरों पर राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिये आधारभूत, संस्थागत–व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु अपने सुझाव देगी :–

- विभिन्न स्तरों पर राज्य सेवा अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान आधारभूत संस्थागत–व्यावसायिक एवं अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण
- विभिन्न राज्य सेवाओं के आधारभूत एवं संस्थागत–व्यावयायिक प्रशिक्षण की अवधि, पात्रता, प्रशिक्षण रूपरेखा एवं विषय सामग्री का निर्धारण
- राज्य सेवाओं के अधिकारियों के आन्तरिक प्रशिक्षण की समीक्षा
- राज्य सेवा अधिकारियों हेतु सेवा काल में उचित स्तर पर अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण का निर्धारण एवं उसकी समीक्षा
- राज्य सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण की समग्र समीक्षा

इसी क्रम में उपरोक्त समिति की बैठक से पूर्व एक उप–समिति का गठन किया गया है जिसमें निम्नांकित सदस्य हैंः–

- अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एच.सी.एम. रीपा — अध्यक्ष
- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) — सदस्य
- सदस्य, राजस्व मण्डल (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) — सदस्य
- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग — सदस्य
- आयुक्त, उद्योग — सदस्य
- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि — सदस्य

- निदेशक, वित्त एवं लेखा — सदस्य
- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग — सदस्य
- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी — सदस्य
- मुख्य अभियन्ता, सिचांई — सदस्य
- पंजीयक, सहकारी समितियां — सदस्य
- महानिरीक्षक, कारागार — सदस्य
- निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण — सदस्य
- निदेशक, पशुपालन — सदस्य
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक — सदस्य
- निदेशक, स्वायत्त शासन संस्थान — सदस्य
- उप शासन सचिव (प्रशिक्षण) एच.सी.एम. रीपा — सदस्य सचिव

यह समिति वर्ष में दो बार तथा उप समिति आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन कर सकेगी। यदि किसी विभाग द्वारा प्रशिक्षण का दायित्व अपने अधीन लिया जाता है तो उसके निदेशक उपरोक्त वर्णित समन्वय समिति के स्वतः सदस्य माने जायेंगे।

2. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान समन्वय समिति

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश संख्या एफ.6(41)एआर/3/2005 दिनांक 29–08–2005 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) की अध्यक्षता में गठित समिति सभी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता तथा समन्वय स्थापित करने हेतु गठित समिति का विवरण इस प्रकार हैः–

- अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एच.सी.एम. रीपा — अध्यक्ष
- प्रमुख शासन सचिव वित्त — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव सिचांई — सदस्य
- प्रमुख शासन सचिव शिक्षा — सदस्य
- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) — सदस्य
- शासन सचिव, आयोजना एवं जनशक्ति — सदस्य
- शासन सचिव, कार्मिक — सदस्य
- महा निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, सिचांई प्रबन्धन एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, कोटा — सदस्य
- निदेशक, अभियांत्रिकी अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर — सदस्य
- महा निदेशक, इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, उद्यमिता प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर — सदस्य
- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान (एसआईएएम) दुर्गापुरा, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान, जयपुर — सदस्य
- प्राचार्य, पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली, जयपुर — सदस्य

- निदेशक, राजस्थान स्वायत शासन संस्थान, जयपुर — सदस्य
- निदेशक, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति अनुसंधान संस्थान, उदयपुर — सदस्य
- प्राचार्य, सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक — सदस्य
- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर — सदस्य
- प्राचार्य, जेल प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर — सदस्य
- उप शासन सचिव (प्रशिक्षण), एच.सी.एम. रीपा — सदस्य सचिव

उक्त समिति राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा कर समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः–

- राज्य की प्रशिक्षण नीति का राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु समीक्षा
- प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य पारस्परिक समन्वय बनाना
- जारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना एवं समीक्षा
- राज्य स्तर पर विभिन्न सेवाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का बाहरी एवं आन्तरिक आकलन
- अतिथि वक्ताओं की प्रशिक्षण हेतु एकजाई सूचना तैयार करना
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं की संभावनाऐं एवं उसका निर्धारण करना
- विभिन्न प्रशिक्षण विषयों के स्थायी मॉड्यूल्स तैयार करना
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना
- प्रशिक्षण संस्थानों का आधारभूत निरीक्षण
- प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पदों की एकरूपता
- प्रशिक्षण संस्थानों में सूचनाओं का आदान प्रदान
- प्रशिक्षण संस्थानों में एकरूपता बनाने हेतु गतिविधियों का आकलन

उपरोक्त समितियों में कोई भी जनप्रतिनिधि सदस्यों के रूप में सहवरित नहीं है।

11. प्रकाशन

संस्थान में उच्चस्तरीय प्रकाशनों की गौरवशाली परम्परा रही है तथा इन प्रकाशनों में नवीनतम विषयों को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया है। संस्थान द्वारा जनवरी 1972 से प्रकाशित अर्द्ध–वार्षिक पत्रिका ''प्रशासनिका'' है इसमें विद्वततापूर्ण तथा प्रशिक्षणोंपयोगी लेख प्रकाशित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न पुस्तकों, केस स्टेडीज, प्रशिक्षण मोनोग्राफ्स, पठन सामग्री इत्यादि का भी प्रकाशन किया जाता है।

आलोच्य अवधि 2010–11 में संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन कार्य किये गये है :

1. ट्रेनिंग कलेण्डर (2010–2011)
2. वार्षिक प्रतिवेदन (2009–2010)

<u>अर्द्ध वार्षिक पत्रिका</u>

3. प्रशासनिका (जनवरी–जून 2010)
4. प्रशासनिका (जुलाई–दिसम्बर 2010)

<u>प्रकाशन</u>

5. सूखा
6. बाढ़

7. प्राथमिक चिकित्सा
8. भूकम्प
9. आग
10. आपदा प्रबंधन : क्या करे क्या न करे
11. महामारी लू/तापघात शीत लहर
12. बम विस्फोट
13. मानसून पूर्व तैयारियां
14. पशुओं के विभिन्न संक्रामंक रोग एवं रोकथाम
15. पेंशन नियम
16. राजस्थान नागरिक सेवाएँ आचरण एवं वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम
17. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III, दिवस प्रथम अलवर
18. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस प्रथम जोधपुर
19. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस प्रथम बीकानेर
20. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस प्रथम उदयपुर
21. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस तृतीय अलवर
22. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस तृतीय जोधपुर
23. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस तृतीय बीकानेर
24. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस तृतीय उदयपुर
25. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस द्वितीय अलवर
26. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III, दिवस द्वितीय जोधपुर
27. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस द्वितीय बीकानेर
28. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पुस्तिका) स्तर I,II,III दिवस द्वितीय उदयपुर
30. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर I दिवस I,II,III अलवर
31. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर I दिवस I,II,III जोधपुर
32. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर I दिवस I,II,III बीकानेर
33. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर I दिवस I,II,III उदयपुर
34. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर II दिवस I,II,III अलवर
35. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर II, दिवस I,II,III जोधपुर
36. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर II दिवस I,II,III बीकानेर
37. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर II दिवस I,II,III उदयपुर
38. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर III दिवस I,II,III अलवर
39. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर III, दिवस I,II,III जोधपुर
40. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर III दिवस I,II,III बीकानेर
41. सुशासन विषयक प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मॉड्यूल) स्तर III, दिवस I,II,III उदयपुर
42. Right to Information Act, 2005

12. संस्थापन

यह संस्थान मुख्य शासन सचिव एवं महा निदेशक, रीपा के नेतृत्व में अपना कार्य सम्पादन करता है। संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध हैं।

13. बजट आवण्टन एवं व्यय

यह संस्थान अपना बजट, मद ''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। संस्थान में वर्ष 2010–2011 में आयोजना–भिन्न मद में संचालन एवं प्रशासन शीर्षक में ₹ 796.80 लाख के संशोधित अनुमान के विरूद्व दिसम्बर 2010 तक कुल

₹ 563.62 लाख व्यय किये गये हैं। इसके अलावा फर्म प्रशिक्षण मद में ₹ 250.00 लाख के विरूद्ध ₹ 9.07 लाख, अन्वेषण एवं विस्तार सामग्री मद में ₹ 0.50 लाख के विरूद्ध राशि ₹ शून्य, आई.ए. एस. परीवीक्षाधीन मद में ₹ 30.00 लाख के विरूद्ध ₹ 10.16 लाख, व हॉस्टल मेन्टीनेन्स मद में ₹ 15.00 लाख के विरूद्ध ₹ 11.38 लाख दिसम्बर 2010 तक व्यय किया जा चुके है। वर्ष के दौरान बजट अनुमान एवं व्यय राशि का विवरण तालिका संख्या–2 में दिया गया हैः–

तालिका संख्या : 2

क्र.सं.	बजट मद	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
	[01] संचालन एवं प्रशासन		
1	01– संवेतन	₹ 640.00	₹ 466.21
2	03– यात्रा व्यय	₹ 1.80	₹ 0.54
3	04– चिकित्सा व्यय	₹ 6.50	₹ 4.85
4	05– कार्यालय व्यय	₹ 60.00	₹ 36.36
5	07– कार्यालय वाहनों का संधारण	₹ 0.50	₹ 0.47
6	08– वृतिका एवं विशिष्ट सेवाएं	₹ 0.50	₹ 0.06
7	21– अनुरक्षण एवं मरम्मतें	₹ 27.50	₹ 25.25
8	28– विविध व्यय	₹ 0.00	₹ 0.00
9	31– पुस्तकें एवं पत्रिकाओं पर व्यय	₹ 4.50	₹ 1.23
10	32– डिक्री संबंधी व्यय	₹ 0.00	₹ 0.00
11	36– वाहनों का किराया	₹ 4.70	₹ 2.83
12	38– लेखन सामग्री	₹ 1.70	₹ 0.95
13	39– मुद्रण	₹ 2.50	₹ 0.63
14	41– संविदा सेवाएं	₹ 40.00	₹ 21.91
15	89– अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	₹ 5.60	₹ 2.33
	योग	₹ 796.80	₹ 563.62
16	**[02]** फर्म प्रशिक्षण		
	29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	₹ 250.00	₹ 9.07
17	**[03]** अन्वेक्षण एवं विस्तार सामग्री		
	28 विविध व्यय	₹ 0.50	₹ 0.00
18	**[04]** आई.ए.एस. परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण		
	29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	₹ 30.00	₹ 10.16
19	**[05]** हॉस्टल मेन्टीनेन्स		
	28 विविध व्यय	₹ 15.00	₹ 11.38
	महा योग	₹ 1092.30	₹ 594.23

14. सम्पदा

संस्थान में प्रभारी अधिकारी (परिसर) के नेतृत्व में सम्पदा शाखा कार्यरत है जिसमें वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। सफाई, बागवानी व सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएं अनुबंध पर दी हुई है। सम्पदा शाखा के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :

1. परिसर व भवनों की देख–रेख व सफाई
2. विद्युत, पानी, टेलीफोन, सुरक्षा तथा अन्य भौतिक ढांचे आदि का पर्यवेक्षण
3. आवास गृहों का आवंटन

संस्थान परिसर में राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त उपभोक्ता भण्डार व बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं का लाभ परिसर में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी उठाया जाता है।

15. विश्रान्ति एवं अतिथिगृह

संस्थान परिसर में प्रशिक्षणार्थियों तथा अतिथि वक्ताओं के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। यह व्यवस्था निम्नानुसार उपलब्ध हैः–

तालिका संख्या : 3

क्र.सं.	आवासीय सुविधा		कुल योग
1	सिंगल बैड कमरें		85
2	डबल बैडेड कमरें		83
	(अ) एयरकूल्ड कमरे	15	
	(ब) वातानुकूलित कमरे	36	
	(स) गैर–वातानुकूलित कमरे	32	
3	कॉटेजेज		16
	(अ) सूट्स	04	
	(ब) डुप्लेक्स	12	
4	कॉटेजेज		08
	(अ) सूट्स	01	
	(ब) कमरें	07	
	महा योग		192

नोट : क्रम संख्या 2 (ब) में अंकित 36 कमरों में से 17 वातानुकूलित कमरों में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है।

विश्रान्ति में एक वातानुकूलित अध्ययन कक्ष है जिसमें 40–45 प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। विश्रान्ति में प्रवास करने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु इन्टरनेट युक्त कम्प्यूटर रखे गये हैं जिनका वे कक्षाओं के उपरान्त उपयोग कर सकते हैं।

विश्रान्ति में चार भोजन कक्ष हैं जिनमें से तीन विश्रान्ति में व एक कॉटेज में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त डिश टी.वी. युक्त मनोरंजन कक्ष की सुविधा भी उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के अतिरिक्त, कमरें रिक्त होने पर अन्य राजकीय, निजी संस्थाओं को

भी निर्धारित दरों पर विश्रान्ति, अतिथिगृह, कॉटेजेज में ठहरने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों हेतु संस्थान परिसर में बैंकिंग, चिकित्सा, जिम, एस.टी.डी., पी.सी.ओ., परिवहन, इन्टरनेट, लाण्ड्री तथा सहकारी उपभोक्ता भण्डार की सुविधाएं उपलब्ध है।

16. आवास गृह

संस्थान परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कुल 60 आवासीय भवन विभिन्न श्रेणियों में निर्मित हैं जिनका विवरण निम्ननुसार हैः–

तालिका संख्या : 4

क्र.सं.	आवासीय श्रेणी	संख्या
1	श्रेणी – एक	01
2	श्रेणी – दो	05
3	श्रेणी – तीन	12
4	श्रेणी – चार	10
5	श्रेणी – पांच	32
	महा योग	60

17. उद्यान विकास

संस्थान परिसर में पटेल भवन, नेहरु भवन, विश्रान्ति सामुदायिक केन्द्र, व कॉटेज कॉम्पलैक्स में उद्यान विकसित किये गये हैं। संस्थान के मुख्य द्वार के पास स्व. श्री हरिश्चन्द्र जी माथुर, जिनके नाम से संस्थान का नामकरण किया गया है, की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। उसके चारों ओर भी सुन्दर उद्यान विकसित किया हुआ है। इसी प्रकार मुख्य भवन के दायीं तरफ विविध प्रकार के गुलाब के फूलों से सुसज्जित ''गुलाब क्यारी'' भी बनी हुई है। संस्थान के पटेल भवन के दायें छोर पर करौली के प्रसिद्ध लाल पत्थर से निर्मित सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित है। विश्रान्ति व अतिथि गृह में भी उद्यान विकसित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त परिसर में एक बाल उद्यान भी है, जहां पर बच्चों के मनोरंजन हेतु झूले आदि लगाये गये है तथा प्रातःकालीन घूमने हेतु एक ट्रेक बना हुआ है। बाल उद्यान के बीच में क्रिकेट का पिच भी निर्मित है। संस्थान में हरियाली, पर्यावरण एवं स्वच्छता कों बनाये रखने के लिये कार्यरत संकाय सदस्यों को लॉन/गार्डन की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है।

18. खेलकूद, मनोरंजन, जिम एवं योग आदि की सुविधाएं

संस्थान परिसर में दो टेनिस कोर्ट, दो बैडमिन्टन कोर्ट, बालीबाल कोर्ट, टेबिल टेनिस, क्रिकेट, फुटबाल एवं इणडोर गेम्स (कैरम, शतरंज आदि) की व्यवस्था है। समय–समय पर प्रशिक्षणार्थियों और आमंत्रित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 15x25 मीटर का एक तरणताल बना हुआ है जिसमें फिल्टरेशन आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। तैराकी की सुविधा संस्थान के अधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों, कर्मचारियों, एल्यूमिनी के सदस्यों व अन्य को, निर्धारित शुल्क पर अलग–अलग पारियों में उपलब्ध करवायी जाती है।

19. सामुदायिक केन्द्र

परिसर में कॉटेज कॉम्पलैक्स के पास एक सामुदायिक केन्द्र स्थित है, जिसके आगे–पीछे उद्यान भी विकसित किया गया है। रिक्त होने पर इसका कुछ भाग परिसर में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के सामाजिक आयोजनों हेतु रियायती दरों पर तथा बाहरी व्यक्तियों को स्वीकृत करों पर उपलब्ध कराया जाता है।

20. विभागीय परीक्षाएं

संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए विभागीय परीक्षाओं के अलावा विभिन्न राज्य सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन एवं संचालन करना भी है। संस्थान द्वारा वर्ष 2010–2011 में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की विभागीय परीक्षाऐं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की संस्थानिक प्रशिक्षण समाप्ति परीक्षा, राजस्थान नगर पालिका सेवा के अनुत्तीर्ण अधिशासी अधिकारियों की पुनः परीक्षा में क्रमशः 03, 01, एवं 01 कुल 05 परीक्षाऐं आयोजित की गयी जिनमें कुल 18 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

21. प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र

संस्थान के रजत जयन्ती वर्ष 1982 में राज्य लोक उपक्रमों, केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने, विभिन्न मंत्रालयों, लोक कल्याण से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से राजस्थान सोसाईटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था के रूप में प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र (Centre for Management Studies) की स्थापना की गई।

इस केन्द्र की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैंः–

- प्रबन्ध की विभिन्न शाखाओं विशेष तौर से औद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा उनमें सहायता एवं सहयोग प्राप्त करना।
- प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कराना एवं उन्हें लागू करना।
- प्रबन्ध के क्षेत्र में शोध कार्य करना एवं शोध में सहायता करना।
- निजी एवं संगठनात्मक प्रबन्ध का विकास करना तथा दक्षता में वृद्धि करना।
- लोक उपक्रमों में प्रबन्धकीय वातावरण का निर्माण करना।
- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य संस्थाओं का निर्माण करना एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करना।

केन्द्र के संचालन हेतु एक शाषी परिषद है। महा निदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर इसके पदेन अध्यक्ष हैं तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान औद्योगिक विनियोग निगम, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान खान एवं खनिज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम, राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फैडरेशन, नगर विकास न्यास अलवर के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक इसके सदस्य हैं।

प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है जिसके सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष में निर्वाचन कर संचालक मण्डल का गठन किया जाता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार संचालक–मण्डल के अध्यक्ष एवं निदेशक हैं। केन्द्र को राज्य सरकार से कोई सहायता–अनुदान प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र में जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा में इसकी शाखाएं हैं।

केन्द्र की सदस्यता व्यक्तिगत रूप से सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी उपक्रम संस्थान संरक्षक सदस्य के रूप में राशि ₹ 5.00 लाख, डोनर सदस्य के रूप में ₹ 2.00 लाख एवं साधारण सदस्य के रूप में राशि ₹ 1.00 लाख अदा कर सदस्यता ग्रहण कर सकता है।

बचत होने की स्थिति में राशि का उपयोग रीपा संस्थान के विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये आधुनिक उपकरण एवं सुविधा आदि उपलब्ध कराने में किया जाता है। वर्तमान में केन्द्र के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर अनेकानेक महत्वपूर्ण परियोजना एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

भारत सरकार, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रमों, गैर सरकारी संस्थाओं आदि के कार्मिकों की कार्य दक्षता में अभिवृद्धि के लिये विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशालएं आयोजित की जाती हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं कोई भी संस्था उनकी आवश्यकता के अनुरूप करा सकती है। कार्यक्रम की अवधि गुणवत्ता आदि के मद्देनज़र प्रायोजिक संस्थाओं से आपसी वार्तालाप करके प्रशिक्षण कार्यक्रम की फीस तय की जाती है। पंजीकृत संस्था प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के तहत आपदा प्रबन्धन केन्द्र, नगरीय विकास केन्द्र तथा व्यापार एवं निवेश केन्द्र कार्यरत हैं।

21.1 आपदा प्रबन्धन केन्द्र

आपदा प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना वर्ष 1995 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सहयोग से ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में उसके अभिन्न अंग के रूप में की गई थी। वर्तमान में यह केन्द्र गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रहा है। केन्द्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मुख्यतः प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रचार–प्रसार व प्रलेखन के माध्यम से प्राकृतिक और मानव–कृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में राज्य सरकार एवं जन–साधारण की क्षमता में वृद्धि तथा निबटने की तैयारियों और साधनों का विकास करना है। आपदा प्रबन्धन केन्द्र राज्य में आपदाओं के विषय में तकनीकी सहायता देने हेतु नोडल विभाग की तरह कार्यरत है। केन्द्र की गतिविधियों को संचालित करने हेतु भारत सरकार प्रति वर्ष 30 लाख का अनुदान देती है। इसके अलावा केन्द्र द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं कालेजों में आपदा प्रबन्ध जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

केन्द्र द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिये स्कूली छात्रों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिकों एवं सरकारी, अर्द्धसरकारी उपक्रमो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सिनेमा स्लाईड, नुक्कड़ नाटक, विज्ञापन, पोस्टर्स आदि के माध्यम से जागरूकता एवं बचाव के उपाय आदि के लिये कार्य किए जाते हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्र के तत्वावधान में अब तक 27 कार्यक्रम आयोजित किये जाकर 742 प्रशिक्षणार्थियों को लाभांन्वित किया गया है।

जन सामान्य में आपदाओं के विषय में जागरूकता लाने हेतु केन्द्र द्वारा विगत वर्ष में पोस्टर ''पानी बचाओ, सूखा भगाओ'' ''आग से बचाव'' व ''सूखे से बचाव के उपाय'' वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त आग, सूखा, भूकम्प, प्राथमिक उपचार, तथा मानसून पूर्व की तैयारिया, बम विस्फोट व हवाई हमला, 'महामारी, लू व शीतलहर'' तथा आपदा प्रबंधन क्या करें, क्या ना करें, पर मोनोग्राफ्स भी जागरूकता कार्यक्रम को वृहद स्तर पर क्रियान्वित करने के लिये पुनः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित कराये गये हैं।

21.2 राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान को राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र (टी.ओ.सी.) के रूप में पदनामित किया गया है। यह केन्द्र प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अधीन कार्य कर रहा है। इस केन्द्र द्वारा राष्ट्र के युवाओं की उर्जा एवं शक्ति के सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के उद्वेश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से यह योजना युवाओं के सर्वागीण विकास का पथ प्रशस्त कर रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा युवाओं में समाज सेवा के माध्यम से संवेदनशीलता, श्रम का महत्त्व, नेतृत्व भावना, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय आपदाओं में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पाहन करना, एवं समूह में रहने की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र (टी.ओ.सी.) के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना विषयक प्रशिक्षण के मुख्य उद्वेश्य निम्न हैः–

1 राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उनके व्यवहार और मूल्यों में पुनः अभिविन्यास करना।
2 उन्हें संस्था और समाज के सेतु तथा उत्प्रेरक के रुप में कार्य करने के योग्य बनाना।
3 स्वैच्छिक समाज सेवा के विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के ज्ञान से सम्पर्क कराना।
4 उन्हें यह क्षमता प्रदान करना कि वे व्यक्तिगत रुप से व्यक्तियों के समूह में और समुदाय के साथ कार्य कर सकें।
5 योजना, संगठन, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, प्रशासन, संचार और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए साधन जुटाने की क्षमता प्रदान करना।

इस केन्द्र के द्वारा, आलोच्य वर्ष में एक अभिविन्यास कार्यक्रम तथा एक पुनश्चर्या कार्यक्रम संचालित किया गया। भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2010 में इस योजना की समीक्षा की गयी जिसमें यह निर्णया लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि साढे पांच दिन की जावे व प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र (टी.ओ.सी.) को एमपैनल्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन (ई.टी.आई.) के रूप में पुर्ननामित किया जावे। भारत सरकार ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अन्तर्वस्तु में परिवर्तन करते हुए आगामी 01.04.2011 से नये सिरे से संचालित करने का निर्णय लिया है।

21.3 व्यापार एंव निवेश केन्द्र

विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं के क्रिया कलापों तथा उनके राज्य एवं व्यक्तिओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी कराने के लिए प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र में व्यापार एवं निवेश केन्द्र (सी.टी.आई) भी स्थापित है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों पर जनवरी 2010 में विश्व व्यापार संगठन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अधीन कार्य करेगा। यह प्रकोष्ठ निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है:–

- राजस्थान सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वयंशासी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के विषय में जानकारी देना।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर उदारीकृत वैश्विक व्यापार के फलस्वरूप होने वाले प्रभावों का आकलन करना।
- वैश्विक व्यापार की उदारीकृत प्रकृति के परिणामस्वरूप प्रदेश के विशिष्ट निर्यातों, यथा हीरे–जवाहरात, कारपेट, हस्तकलाओं, कृषि जन्य पदार्थों पर होने वाले निर्यातों पर प्रभावों का अध्ययन करना।
- व्यापार संघों, निर्यात करने वाले संस्थानों तथा लघु उद्यमियों के सहयोग से व्यापार एवं निवेश केन्द्र (डब्ल्यू.टी.ओ.) के विषय में सेमीनार तथा कांफ्रेस का आयोजन करना तथा संभावित रणनीतियां तैयार करना।

यह प्रकोष्ठ भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में डब्ल्यू.टी.ओ. विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस संबंध में प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्य भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली को सौंपा गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित किये गये:–

1. जून 2010 में यू.एन.डी.पी. के तत्वावधान में 'शाश्वस्त विकास एवं जलवायु परिवर्तन' पर दो दिन की एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें 70 अधिकारियों ने भाग लिया।
2. नवम्बर 2010 में प्रकोष्ठ द्वारा एक मुख्य शोध प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। उक्त प्रस्ताव में राजस्थान के हीरा एवं जवाहरात उद्योग पर डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रभावों का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार के पास विचाराधीन है।
3. दिसम्बर 2010 में उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के सौजन्य से डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधित मुद्दों पर सरकारी अधिकारियों की दो दिवसीय संवेदी कार्यशाला आयोजित की गयी।

22. सेण्टर फॉर गुड गवर्नेंस

वर्ष 2004–2005 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार इस संस्थान में एक सुशासन केन्द्र (Centre for Good Governance) की स्थापना वर्ष 2005 में की गई। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का राजस्थान अधिनियम संख्या 28 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था के रूप में यह केन्द्र 31 मार्च, 2005 को पंजीकृत कराया गया। इस केन्द्र की स्थापना का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार है:–

- सुशासन की अवधारणा से संबंधित ज्ञान का आधार तैयार करना ताकि उसे सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जा सके।
- लोक प्रबन्धन तंत्र हेतु अभिनव सुझाव प्रस्तुत करना जिससे प्रबन्धन के तहत कार्य निष्पादन में गति, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता आ सके।

- सुशासन से संबंधित सभी पक्षों के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रशिक्षण में मदद करना, जन सशक्तिकरण के प्रयास करना जिससे सुशासन की अवधारणा को उचित स्वरूप दिया जा सके।
- विभिन्न संस्थाओं को सुदृढ़ करना ताकि पारिणामिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। स्वस्थ परम्पराओं, विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के उद्धरणों को संकलित करने का कार्य करना।
- राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुशासन संबंधी परामर्श देना।

केन्द्र के संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में गठन किया गया है। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव इसके सदस्य हैं। इस केन्द्र के प्रशासनिक संचालन हेतु एक अधिशाषी समिति का भी गठन किया गया है जिसमें महा निदेशक, रीपा पदेन अध्यक्ष हैं तथा प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव योजना एवं सचिव कार्मिक इसके सदस्य हैं।

वर्ष 2010–2011 के दौरान केन्द्र की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं:–

1. विभिन्न योजनाओं के मल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी कार्य

सुशासन केन्द्र द्वारा अपनी स्थापना के पश्चात् अब तक कुल 23 योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन कराया गया जिनमें से 22 अध्ययनों की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को गत वर्षों में ही प्रेषित की जा चुकी हैं। एक अध्ययन यथा जननी सुरक्षा योजना के मूल्यांकन का अन्तिम प्रतिवेदन पर विभाग की राय अपेक्षित है।

2. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर कार्य

1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ब्रिटिश शासन द्वारा वित्त प्रोषित एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सौजन्य से संचालित 'निर्धनता प्रशमन हेतु क्षमता संवर्द्धन (सी.बी.पी. आर.)' नामक परियोजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उदयपुर जिले का चयन किया जाकर वहां तीन स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु 3 प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार किये गये। 22 जुलाई 2009 से निरन्तर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहें। दिसम्बर 2010 तक 41 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 1151 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, तथा मार्च 2010 तक प्रशिक्षणों को जारी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. इस योजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने जोधपुर व अलवर जिले में भी सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु फरवरी 2010 में योजना स्वीकृत की है। अलवर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के माध्यम से तथा जोधपुर में क्षेत्रीय कार्यालय ह.च.मा. रीपा के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दोनों स्थानों पर मार्च 10 में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया तथा सितम्बर 2010 से निरन्तर प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। जोधपुर में 20 प्रशिक्षणों के माध्यम से 550 व अलवर में 26 प्रशिक्षणों के माध्यम से लगभग 1450 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

3. भारत सरकार की ''ट्रेनिंग फॉर ऑल'' प्रशिक्षण परियोजना के तहत एक जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बीकानेर जिले को चुना गया है। बीकानेर जिले में भी उदयपुर के समान त्रि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 जुलाई 2009 से आयोजित किये जा रहे हैं तथा दिसम्बर 2010 तक लगभग 1700 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये

जा चुके हैं तथा मार्च 2011 तक उक्त के अलावा शेष कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

3. जिला नियमावली का पुनर्लेखन

ड्राफ्ट जिला नियमावली पर राय जानने के उद्देश्य से कोटा में दिनांक 20 नवम्बर 2010 को एक दिवसीय कार्यशालाा का आयोजन जिला कलक्टर सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में कोटा सम्भाग के जिलों के अतिरिक्त जिला कलक्टर, उप जिला कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला रास्व लेखाकार, सदरकानूनगो, कार्यालय सहायक, सांख्यिकीय सहायक, नाजीर, आईआरए आदि ने भाग लिया। कार्यशाला में संभागियों ने विस्तृत चर्चा की तथा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए यथा कानूनी एवं वैधानिक प्रकोष्ठों को एक किया जाना, पंचायत व विकास प्रकोष्ठ को एक करना, सूचना के अधिकार तथा आमजन की शिकायत एवं निगरानी के निराकरण पर ज्यादा ध्यान देना, रोकड़िया, स्टोर तथा लेखा का एक इंचार्ज बनाकर एक खण्ड करना, लेखा सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्ट तथा सुनिश्चित भूमिका निर्धारित करना आदि। उपरोक्त बिन्दुओं को ड्राफ्ट जिला नियमावाली में सम्मिलित कर लिया गया है। ToR के अनुसार एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर जिला नियमावली को अन्तिम स्वरूप दे दिया।

4. इंटर्नशिप कार्यक्रम

वर्ष 2011 में सी.जी.जी इंटर्नशिप कार्यक्रम लिया गया है जिसमें पोद्दार इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट के दो इंटर्न को अगस्त, 2010 से परियोजना कार्य हेतु चयनित किया गया। दो विषयों पर कार्य प्रारम्भ किया गया यथा "Study of Right to Education Act in Jaipur District" एवं "Industrial Development in Jaipur" इन विषयों पर परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया। दोनों इंटर्न ने रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसका प्रस्तुतीकरण महानिदेशक व ंकाय सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण किया जाना है।

5. प्रकाशन

आमजन की जानकारी एवं प्रशिक्षण आदि के लिए सुशासन केन्द्र द्वारा पूर्व में 23 रिपोर्टस् एवं ट्रेनिंग मोनोग्राफस् का प्रकाशन कराया गया। वर्ष 2010–11 में ''सी.बी.पी.आर. न्यूज लेटर'' भी प्रकाशित कराये जा रहे हैं। उदयपुर में सी.बी.पी.आर. परियोजना का कृषि क्षेत्र में बीकानेर में सभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिये तथा जोधपुर व अलवर जिलों में कार्यरत सभी कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है इन सभी जिलों के लिए प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका का प्रकाशन भी कराया गया है।

सुशासन विषयक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अभ्यास पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलों में कार्यरत कार्मिकों को तीन स्तर में वर्गीकृत किया है तथा उक्त तीनों स्तरों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए दिवसवार अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रकाशन कराया गया है। इसके साथ ही प्रशिक्षकों के लिए भी तीनों स्तरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलस का प्रकाशन कराया गया है।

6. ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप

वर्ष 2010–11 के दौरान सुशासन केन्द्र द्वारा निम्न ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गयाः–

- सुशासन विषयक एक पाठ्यक्रम दिनांक 18.10.2010 से दिनांक 22.10.2010 तथा एक कार्यशाला दिनांक 20.11.2010 को जिला नियमावली के संशोधन, पुर्नलेखन व अपडेटिंग पर कोटा में आयोजित की गई।
- दिनांक 20.09.2010 को निदेशक महोदय के निर्देशानुसार सदस्य सचिव व विशेषाधिकारी सी.जी.जी. तथा डा. आर.के. चौबीसा ने डी.ओ.पी.टी. भारत सरकार, दिल्ली में सी.बी.पी.आर. परियोजना के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- जिला विकेन्द्रकृत योजना के अन्तर्गत बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में दो दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन यू.एन.डी.पी. व आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के सहयोग द्वारा किया गया। इन कार्यशालाओं में जिले के पंचायत सदस्यों, जिला योजना समिति के सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया।

7. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु एक अध्ययन कराया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए टी.ओ.आर. को अन्तिम रूप दे दिया गया है। टी.ओ.आर. के आधार पर सर्वे प्रपत्र तैयार किये गये। इन सर्वे प्रपत्रों की वैधता की जाँच चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिले में की जा चुकी है। सर्वे प्रपत्रों की वैधता की जाँच के उपरान्त आवश्यक संशोधन किया गया है तथा अब फील्ड सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

8. राज्य में प्रचलित बैस्ट प्रेक्टिसों के दस्तावेजीकरण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने दस बैस्ट प्रेक्टिसेस (सूचना व प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित यथा समाधान, सारथी, ई–मित्र, लोक मित्र आदि) के दस्तावेजीकरण हेतु ₹ 3.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की है तथा ₹ 1.5 लाख की राशि सुशासन केन्द्र को प्राप्त हो गई है। यह कार्य प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायेगा। इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सम्बन्धित विभागों को उनके विभाग में प्रचलित बैस्ट प्रेक्टिस को इस केन्द्र को भेजने हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं। इस हेतु विभागों से सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो गयी है।

9. यू.एन.डी.पी. व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जिला विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत जिले में हुई बैस्ट प्रेक्टिसों का दस्तावेजीकरण किये जाने हेतु सुशासन केन्द्र को नामित किया गया है। इस हेतु सभी जिला कलक्टरों व प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं को पत्र भेजकर उनके द्वारा की गई बैस्ट प्रेक्टिसों को इस केन्द्र को भेजने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इस हेतु विभागों से सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो गयी है।

जिला मानव सूचकांक प्रतिवेदन के सारांश करने का कार्य भी उपरोक्त विभाग से इस केन्द्र का प्राप्त हुआ है। इस हेतु कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा सभी चयनित पाँच जिलों यथा सिरोही, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर के प्रतिवेदनों का सारांश तैयार कर माह फरवरी 2011 में प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

10. अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ मायनोरिटी अफेयर्स) नई दिल्ली द्वारा एक परियोजना राजस्थानभारत के दो जिलों हेतु इस केन्द्र को प्राप्त हुई हैं। सुशासन केन्द्र ह.च. मा. रीपा द्वारा अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जयपुर जिले के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु एक परियोजना ₹ 17.85 लाख की प्रेषित की गई थी।

भारत सरकार ने जयपुर जिले के लिए योजना की स्वीकृति के साथ निर्देशित किया है कि यह अल्पसंख्यक महिलाओं ने नेतृत्व क्षमता का विकास कार्यक्रम को जयपुर के अतिरिक्त एक और जिले में क्रियान्वित कराये जावे इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तावित किये जायें। जयपुर जिले के लिए स्वीकृति कार्यक्रम के लिए राशि भिजवाने के लिए अल्पसंख्यक मामलात

मंत्रालय, भारत सरकार को निवेदन किया जा चुका है तथा दूसरे जिले का चयन कर उसके विस्तृत प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं।

जयपुर जिले के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु नेशनल मुस्लिम वूमन वेलफेयर सोसायटी जो एक स्वयंसेवी संस्था है को अधिकृत किया गया है कार्य कराया जा रहा है।

23. महिला एवं बाल संसाधन केन्द्र

महिला एवं बाल संसाधन केन्द्र ह.च.मा. रीपा, राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। महा निदेशक रीपा इसके प्रेसीडेण्ट है जिनकी सहायता के लिये सदस्य सचिव कार्य करते है। केन्द्र की एक गवर्निंग बॉडी है जिसकी प्रतिवर्ष बैठक आयोजित की जाती हैं। केन्द्र को राज्य सरकार से कोई सहायता–अनुदान प्राप्त नहीं होता। वर्ष 2010–2011 में आवास एवं शहरी गरीबी प्रशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आवंटित बजट की सहायता से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरी निकायों के लिए सूचना का अधिकार एवं शहरी विकास योजनाएं विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। संस्थान के जयपुर परिसर में एक तथा बीकानेर एवं उदयपुर परिसर में 4–4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

केन्द्र द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को समस्त के लिए प्रशिक्षण योजना के तहत सुशासन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का एक्शन प्लान तैयार कर भेजा गया जिसके अन्तर्गत राशि ₹ 61.92 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया। यह योजना भारत सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत कर दी गई है जिसके तहत राज्य के अजमेर तथा टोंक जिलों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी क्षमता अभिवृद्धि की जायेगी।

चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सौजन्य से मानव अधिकार विषयक एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

24. कम्प्यूटर केन्द्र

सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुआयामी प्रगति के साथ सरकारी कामकाज में भी कम्प्यूटर का न केवल प्रवेश हुआ वरन् उसका अधिकतम प्रयोग भी होने लगा है। अधिकारियों और उनसे प्राप्त निष्कर्षों को शीघ्रातिशीघ्र ग्रहण कर उनका उपयोग किया जा सके, इस दृष्टि से यह आवश्यक था कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था संस्थान द्वारा आरम्भ की जाय। अतः वर्ष 1987–88 से संस्थान में प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गई। यह केन्द्र निरन्तर प्रगति कर रहा है और वर्तमान में यह राज्य के श्रेष्ठत्तम कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक है।

संस्थान में आयोजित होने वाले आधारभूत पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर ज्ञानार्थ सत्र आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2010–2011 में कुल 42 विशिष्ट कम्प्यूटर कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें विभिन्न विभागों के 1062 अधिकारियों को कम्प्यूटर का पूर्णकालिक, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान राज्य सेवा के अधिकारियों के लिये आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कम्प्यूटर मॉड्यूल भी पढ़ाया गया। जिसमें प्रति प्रशिक्षणार्थी 20 कालांश का समय कम्प्यूटर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए दिया गया। इनके अतिरिक्त, विभागों की आवश्यकतानुसार विशिष्ट पैकेज कार्यक्रमों का आयोजन भी यह केन्द्र करता आ रहा है।

संस्थान द्वारा ई–गवर्नेन्स पर विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किये गये जिसके लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ई–गवर्नेन्स, हैदराबाद के साथ अनुबन्ध किया गया।

संस्थान में प्रशासनिक गतिविधियों जैसे, वेतन बिल बनाना, प्रशिक्षण कलेण्डर बनाना, पुस्तकालय में इन्डेक्सिंग व विश्रान्ति (हॉस्टल) के कार्यों को भी कम्प्यूटर केन्द्र की सहायता से सम्पन्न किया जा रहा है।

संस्थान द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार द्वारा बनाये गये फाइल टैकिंग एवं मॉनीटरिंग सिस्टम की सहायता से पत्रावलियों की ऑन लाइन मॉनीटरिंग भी प्रारम्भ की गई है जिससे पत्रावलियों के विभिन्न अनुभागों के द्वारा प्राप्त एवं भेजी जाने वाली पत्रावलियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

संस्थान के वर्तमान में 110 कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है तथा 2 कम्प्यूटर प्रशिक्षण लैब है जिनका प्रयोग अधिकारियों के प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। संस्थान में इन्टरनेट के प्रयोग हेतु लीज लाईन स्थापित की गई है जिससे कि संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारी, संकाय सदस्य तथा कर्मचारी अपने कक्ष में बैठ कर इसका प्रयोग अपने नित्यप्रति के राजकीय कार्यों में कर सकते हैं। संस्थान राज्य सरकार के जयपुर में उपलब्ध 'सैकलेन' सिस्टम से जुड़ा हुआ है तथा भारत सरकार के डी.ओ.पी.टी. नेटवर्किंग ऑफ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट प्रोजेक्ट के तहत संस्थान को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भी सीधा जोड़ा गया है जिसके तहत विभिन्न संस्थानों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्य सामग्री एवं अन्य सूचनाऐं सर्वर पर रखी जा सकती है।

25. श्रव्य–दृश्य साधन

संस्थान में प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त श्रव्य–दृश्य साधन उपलब्ध है। संस्थान में ओवरहैड प्रोजेक्टर्स, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, रंगीन टेलीविजन, वी.सी.आर. थ्री–एम प्रोजेक्टर आदि उपलब्ध हैं। इसके अलावा विद्युत प्रवाह अवरूद्ध होने की स्थिति में जेनरेटर सेट्स भी है। संस्थान के नेहरु भवन में 250 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता का आडिटोरियम हॉल तथा पटेल भवन में 120 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला कान्फ्रेन्स हॉल पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुसज्जित है।

26. पुस्तकालय

किसी भी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में पुस्तकालय की अह्म भूमिका होती है जिसके अभाव में कोई भी कार्यक्रम निर्जीव सिद्ध होता है। संस्थान के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का एक विशाल तथा नवीनतम संग्रह उपलब्ध है। इनमें लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रबन्ध, नगरीय एवं ग्रामीण विकास साहित्य, आपदा प्रबन्धन, महिला विकास, विधि, वित्तीय लेखा, मनोविज्ञान, कम्प्यूटर आदि विषय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों, अधिनियमों, विभागीय प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों एवं अन्य संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

तालिका संख्या : 5

क्र.स.	विवरण	संख्या
1	आलोच्य वर्ष 2010–2011 के दौरान समाविष्ठ पुस्तकों की संख्या	225
2	प्रतिवेदन	75
3	समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं मुख–पत्र	250
4	पुस्तकों, प्रतिवेदनों एवं अन्य प्रशिक्षण सामग्री की कुल संख्या	95500
5	आडियो–विडियो केसेट्स् एवं फिल्मस्	500
6	सी.डी.	328

संस्थान पुस्तकालय द्वारा विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें प्रलेखन सेवा तथा न्यूजपेपर क्लिपिंग सेवा भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ''रीपा डाक्यूमेन्टेशन'' (मासिक) तथा ''करेन्ट कन्टेन्ट'' (पाक्षिक) संकलन भी प्रसारित किये जाते हैं। वातानुकूलित, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पुस्तकालय पाठकों को अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। संकाय सदस्यों को निरन्तर क्रय की गई पुस्तकों की सूची संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान में संस्थान पुस्तकालय द्वारा पाठकों को विभिन्न सेवायें कम्प्यूटर पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। पुस्तकों का केटेलॉग तथा पत्रिकाओं का इन्डैक्सिग डेटा, पाठकों के लिए ऑन–लाइन तथा लेन (LAN) पर उपलब्ध है तथा शीघ्र ही इसे संस्थान की वैब–साइट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। पुस्तकों के निर्गम हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है एवं बारकोंडिंग की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न महत्वपूर्ण विश्वकोष, निर्देशिकाएं, शब्दकोष तथा संदर्भ ग्रन्थ पुस्तकालय में सी.डी.रोम पर उपलब्ध है।

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, परिसर-उदयपुर

1. पृष्ठभूमि

यह संस्थान भारत सरकार द्वारा ओरिएन्टेशन एण्ड स्टड़ी सेन्टर के नाम से अक्टूबर, 1958 में स्थापित किया गया था जिसे 1 अप्रेल, 1967 कों राज्य के सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग को सौंपा गया। दिनांक 1 दिसम्बर, 1982 को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में लाए जाने के बाद इसे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के उदयपुर परिसर के रूप में नामित किया गया। तभी से यह संस्थान प्रशासनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान का एक केन्द्र बन गया है।

रीपा, जयपुर की भांति इस परिसर के भी वही उद्धेश्य एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। यह संस्थान राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा को छोड़कर शेष समस्त राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिये आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान द्वारा सभी प्रकार की सेवाओं के अभिनव, आगमन, पूर्वाभिमुखीकरण एवं प्रबन्ध विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष पर्यन्त संचालित किए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को भारत सरकार की प्रशिक्षण विकास परियोजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर के प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाईन सम्बन्धी विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः यह संस्थान इन क्षेत्रों में भी अपने प्रशिक्षण संकाय सदस्यों की सहायता से अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। रीपा जयपुर के सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के तत्वावधान में संस्थान में सूचना का अधिकार विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये गये। इस विषय पर 4 मास्टर ट्रेनर यशवंतराव चव्हाण प्रशासनिक अकादमी (यशदा), पुणे से प्रशिक्षित हुए।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

2010–2011 के दौरान दिसम्बर 2010 तक आयोजित 80 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 2141 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सुशासन केन्द्र के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त तत्वावधान में निर्धनता निवारण में क्षमता निर्माण (CBPR) विषयक परियोजना के प्रशिक्षण भाग को संचालित कर रहा है। इस क्रम में दिसम्बर 2010 तक कुल 41 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 1151 संभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. प्रशासन एवं संकाय

संस्थान का प्रशासन विभागाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त निदेशक के अधीन है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल से हैं। उन्हें वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(9)वि.वि(श्रेणी–2)/85 दिनांक 30-9-1983 द्वारा राजस्थान सेवा नियम के तहत विभागाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अलावा) एवं वित्तीय नियमों के प्रयोजनार्थ सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के परिशिष्ट VIII (प्रविष्ठि संख्या 213) के तहत विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हैं। वे सामान्य वित्त एवं लेखा नियम, 1993 खण्ड I के नियम 3(अ) के तहत किसी भी अधिकारी को कार्यालध्याध्यक्ष घोषित कर सकते है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान बीमा सेवा के अधिकारी को

संयुक्त निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है। अतिरिक्त निदेशक के कार्यों में सहायता के लिये उप निदेशक (प्रशासन), सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), एवं सहायक निदेशक (लेखा) कार्यरत हैं जबकि सह प्राध्यापक (लोक प्रशासन), सहायक प्राध्यापक (वित्तीय प्रबन्ध), सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र), के पद रिक्त है।

इस प्रकार, संस्थान में निदेशकीय व प्राध्यापकीय स्तर के अधिकारियों का सामन्जस्य है। प्रशासकीय व प्राध्यापकीय अधिकारियों, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कुल 45 पद स्वीकृत हैं।

4. प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र

इस परिसर में प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, रीपा, जयपुर की एक इकाई कार्यरत है। केन्द्र के तत्वाधान में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा संकाय सदस्यों को अपने प्रशिक्षण क्षेत्र के ज्ञान एवं कौशल का विकास करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने हेतु भेजा जाता है ताकि वे अर्जित ज्ञान का उपयोग प्रशिक्षण कार्यो में कर सकें। अतिरिक्त निदेशक, संस्थान केन्द्र के अतिरिक्त निदेशक (प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र) हैं जिनकी सहायता के लिये प्रभारी अधिकारी (प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र) कार्य करते हैं।

5. सुशासन केन्द्र

सुशासन केन्द्र के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त तत्वावधान में निर्धनता निवारण में क्षमता निर्माण विषयक परियोजना के प्रशिक्षण भाग को संचालित कर रहा है। इस क्रम में दिसम्बर 2010 तक कुल 41 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 1151 संभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

6. छात्रावास एवं मैस

संस्थान के अधिकारी प्रवास छात्रावास में वर्तमान में 58 कमरे हैं जिनमें 8 कमरें चिकित्सा सुविधा, सहकारी भण्डार एवं स्टोर कार्यों के लिए रखे गये हैं। शेष 50 कमरों में 100 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी कमरों को अटेच लेट–बाथ से सुसज्जित किया गया है। अधिकारी प्रवास में प्रशिक्षणार्थियों के भोजन हेतु एक डाइनिंग हॉल उपलब्ध है। वर्तमान में प्रशिक्षणार्थियों की चिकित्सा संबंधी देखभाल के लिये संस्थान में एक अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी एवं अंशकालिक मेल नर्स की सेवाएं भी उपलब्ध है।

7. कम्प्यूटर केन्द्र

संस्थान में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की सहायता से एक कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण किया गया जहाँ 28 कम्प्यूटर व 06 लेजर/इन्कजेट प्रिन्टर रखे हुए हैं। इस वातानुकूलित कक्ष में रखे गये कम्प्यूटर्स की सहायता से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को कम्प्यूटर की उपयोगिता एवं जागरूकता पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण को ग्राह्य बनाने के दृष्टिकोण से एल.सी.डी. प्रोजेक्टर भी है जिसकी सहायता से प्रोजेक्शन द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण में नवीनता लाई गई है। प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के सहयोग से कम्प्यूटर कक्ष को आई.एस.डी. लेन से जोड़ा गया है जिसकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को इन्टरनेट में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

8. श्रव्य–दृश्य

संस्थान में प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त श्रव्य–दृश्य सामग्री उपलब्ध है। संस्थान में ऑवरहेड प्रोजेक्टर, रंगीन टेलीविजन, वी.सी.आर., स्लाइड प्रोजेक्टर व विडियो प्रोजेक्टर उपलब्ध है। इसके अलावा विद्युत प्रवाह अवरूद्ध होने की स्थिति में एक पेट्रोल चलित जनरेटर भी है। संस्थान का कॉन्फ्रेन्स हॉल 27 माईक युक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुसज्जित है जहाँ एम्पलीफायर–कम–रिकार्डर की सहायता से महत्वपूर्ण भाषणों को रिकार्ड किए जाने की सुविधा भी है। इसके अलावा 16 एम.एम. प्रोजेक्टर द्वारा शैक्षणिक चलचित्र भी प्रशिक्षण के दौरान दिखलाए जा सकते हैं। संस्थान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की सहायता से क्रय किया गया एक 3 एम.एम. का एल.सी.डी. प्रोजेक्टर भी उपलब्ध है जो कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी है। प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के सौजन्य से प्राप्त एल.सी.डी. प्रोजेक्टर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में पॉवर प्वाइन्ट का उपयोग किया जाता है।

9. बजट

यह संस्थान अपना बजट, बजट मद ''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर आयोजन मद में ₹ 151.7 लाख आवंटित किये गये जिनके विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक ₹ 101.08 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

10 परिसर विकास

रीपा जयपुर के उद्यानों से प्रेरित होकर एवं संस्थान परिसर में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों को स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण उपलब्ध कराने एवं पर्यावरणीय विकास के दृष्टिकोण से आलोच्य वर्ष में संस्थान में अवस्थित पुराने उद्यानों को विकसित किया गया है। संस्थान परिसर में बेतरतीब फैली हुई झाड़ियों को कटवाया गया एवं साफ–सफाई के साथ–साथ समतलीकरण कराने का कार्य भी किया गया। साथ ही कुछ पौधे भी लगाये गये जिससे कि संस्थान हरा–भरा दिखे।

11. पुस्तकालय

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान के पुस्तकालय में 45 पत्र–पत्रिकाएं पाठकों को उपयोगार्थ आती रही। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 15,974 है। इसके अतिरिक्त 42 विडियो केसेटस् एवं सी.डी. उपलब्ध हैं तथा 16 एम.एम. प्रोजेक्टर की 8 रीलें हैं। सभी पुस्तकें स्टील रेक्स में रखी हुई हैं जो विगत वर्षों में क्रय की गयी थी। नवीन पत्र–पत्रिकाओं को एक साथ प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से पुस्तकालय में डिस्प्ले रेक उपलब्ध है। औसतन 50–60 पाठक प्रतिदिन पुस्तकालय का उपयोग करते हैं व 50 से लेकर 100 पुस्तकें प्रतिदिन पाठकों को निर्गम की जाती हैं। पाठकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिये संदर्भ ग्रन्थों के साथ–साथ धार्मिक व साहित्यिक पुस्तकें, आपदा प्रबन्धन, जल संग्रहण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वित्तीय प्रबन्धन, कम्प्यूटर संबंधी, विभिन्न प्रकार के राजकीय नियमों संबंधी, संविधान, भारत 2020, प्रशिक्षण तकनीक एवं लोक प्रशासन, नैतिक मूल्य, विश्व व्यापार संगठन एवं पर्यावरण प्रबन्धन आदि पुस्तकों का विशाल संग्रह संस्थान पुस्तकालय में हैं। पत्रिकाओं में मुख्य रूप से रीडर्स डाइजेस्ट, बिजनेस टूडे, सेमीनार, कुरूक्षेत्र, योजना आदि पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। पुस्तकालय हेतु एक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व एक पुस्तकालय सहायक कार्यरत है।

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर केन्द्र

1. पृष्ठभूमि

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में बीकानेर केन्द्र की स्थापना लेखा प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में अगस्त 1983 में हुई थी। प्रारम्भ में यह केन्द्र एक किराये के भवन में स्थापित किया गया था जिसे 11 मई 1999 को उद्घाटन के बाद नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। स्थापना से लेकर अब तक इस केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक नये आयाम स्थापित किये गये हैं। बीकानेर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र 16 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ यह परिसर औद्योगिक क्षेत्र लिंक एरिया नागणेचेजी मंदिर के पास स्थित है। इस केन्द्र में प्रशिक्षण कक्ष, कम्प्यूटर लैब व 20 व्यक्तियों के आवास हेतु व्यवस्था की गई है। बीकानेर केन्द्र को उदयपुर परिसर की भांति सैटेलाईट प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया गया।

इस केन्द्र पर लेखा कर्मियों के अलावा अधीनस्थ सेवाओं के लिए आधारभूत/नवीनीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही कार्मिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव, पूर्वाभिमुखीकरण एवं प्रबन्ध विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष पर्यन्त संचालित किये जाते हैं।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

2010–2011 के दौरान दिसम्बर 2010 तक 47 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के सौजन्य से प्रारम्भ हुई सभी के लिये प्रशिक्षण योजना चालू वर्ष में जारी रही। इस योजना के तहत संस्थान द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से सम्पूर्ण जिले में सभी स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों को सुशासन पर प्रशासन देने का क्रम जारी रहा। चालू वर्ष में सुशासन विषय सघन प्रशिक्षण के 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। बीकानेर परिसर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1293 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. प्रशासन एवं संकाय

संस्थान का प्रशासन संयुक्त निदेशक के अधीन है जो राजस्थान लेखा सेवा से हैं। उन्हें सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 3 (अ) के तहत कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके कार्यों में सहायता के लिये सहायक निदेशक (लेखा) का पद जो अप्रैल 2008 से रिक्त है। केन्द्र में प्रबन्ध अध्ययन संस्थान, रीपा, जयपुर की तरफ से विजिटिंग प्रोफेसर भी कार्यरत हैं। प्रशासकीय व प्राध्यापकीय अधिकारियों, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कुल 9 पद स्वीकृत हैं।

रीपा के बीकानेर केन्द्र पर प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र की एक इकाई कार्यरत है। संयुक्त निदेशक प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं।

4. बजट

यह संस्थान अपना बजट, बजट मद ''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर आयोजन मद में ₹ 34.05 लाख आवंटित किये गये जिनके विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक ₹ 22.77 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

5. छात्रावास

संस्थान के हॉस्टल में वर्तमान में 8 कमरे हैं जिसमें एक कक्ष को किचन का रूप दिया गया है। इस प्रकार 20 प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। सभी कमरों को अटेच लेट–बाथ से सुसज्जित किया गया है। मैस व पुस्तकालय भवन बन कर तैयार हो गया हैं।

6. कम्प्यूटर केन्द्र

केन्द्र पर एक कम्प्यूटर लैब है जिसमें 17 कम्प्यूटर लगे हुए हैं जिसमें एक साथ 15 से 20 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वातानुकूलित कम्प्यूटर कक्ष में एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्मिकों के लिए एक व दो सप्ताह के विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। कम्प्यूटर कक्ष को आई.एस.डी.लेन से जोड़ा गया है जिसकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को इन्टरनेट में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

7. श्रव्य–दृश्य

संस्थान में 02 एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, 03 ओवरहैड प्रोजेक्टर, 02 पब्लिक एड्रेस सिस्टम., व 01 श्वेत श्याम टेलीविजन उपलब्ध है। विद्युत प्रवाह अवरूद्ध होने की स्थिति में एक यूपीएस (15 केवी क्षमता) एवं एक डीजल चलित जनरेटर भी है।

8. पुस्तकालय

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान के पुस्तकालय में पांच पत्र–पत्रिकाएं पाठकों के उपयोगार्थ आ रही हैं। संस्थान में पुस्तकों की संख्या 2,677 है।

9. परिसर विकास

विभिन्न श्रेणियों के 5 आवासीय भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। दो आवास कार्मिकों को रहने हेतु आवंटित भी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण संबंधी रिकार्ड रखने हेतु 14 रेक बनाये गये है। केन्द्र के प्रशासनिक भवन में दोनों वाटर–कूलर के साथ वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम लगाये गये हैं जिससे प्रशिक्षणार्थियों तथा केन्द्र के कार्मिकों के लिये स्वच्छ एवं शीतल जल हर समय उपलब्ध रहता हैं।

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जोधपुर केन्द्र

1. पृष्ठभूमि

संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में जोधपुर केन्द्र की स्थापना अगस्त 1983 में हुई थी। प्रारम्भ में यह केन्द्र लेखा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया था जो अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया करता था। बाद में इसकी गतिविधियों का विस्तार करते हुए यहां राज्य, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायित्व भी सौंप दिया गया। वर्ष 1997 में राज्य सेवा के अधिकारियों के लिये भी लोक प्रशासन, सुशासन, वित्तीय प्रबन्ध, संगठनात्मक व्यवहार, सेवा एवं वित्तीय नियम आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। वर्ष 2003 में स्थापित कम्प्यूटर लैब राज्य के जोधपुर संभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने में सहायक सिद्ध हुई है। वर्ष 2005 में पहली बार भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य श्रेणी के अन्तर्गत जोधपुर संभाग में कार्यरत अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवंटन किया गया तथा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किये गये।

जिला प्रशासन द्वारा चौखा ग्राम में 15 बीघा भूमि प्रशिक्षण केन्द्र को नये भवन निर्माण के लिये आवंटित की गयी है, जिस पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण का कार्य शेष है।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

2010–2011 के दौरान आदिनांक तक 43 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण खण्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सम्मिलित है में 922 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. प्रशासन एवं संकाय

संस्थान का प्रशासन अतिरिक्त निदेशक के अधीन है जो वर्तमान में राजस्थान लेखा सेवा से है। उन्हें सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 3 (अ) के तहत कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके कार्यों में सहायता के लिये सहायक निदेशक (लेखा) का पद है। केन्द्र में आशुलिपिक, कनिष्ठ लेखाकार व कनिष्ठ लिपिक के एक–एक पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा श्रेणी– चार के तीन कर्मचारी कार्यरत हैं।

रीपा के जोधपुर केन्द्र पर प्रबन्ध अध्ययन संस्थान, रीपा, जयपुर की एक इकाई भी कार्यरत है। अतिरिक्त निदेशक प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अतिरिक्त रजिस्ट्रार हैं।

4. बजट

यह संस्थान अपना बजट, बजट मद ''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर आयोजन मद में ₹ 37.35 लाख आवंटित किये गये जिनके विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक ₹ 23.08 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

5. कम्प्यूटर केन्द्र

केन्द्र पर एक कम्प्यूटर लैब है जिसमें 18 कम्प्यूटर लगे हुए हैं जिसमें एक साथ 25 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वातानुकूलित कम्प्यूटर कक्ष में एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्मिकों के लिए एक सप्ताह के विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। कम्प्यूटर कक्ष को आई.एस.डी.लेन से जोड़ा गया है जिसकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को इन्टरनेट में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

6. पुस्तकालय

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान के पुस्तकालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं पाठकों के उपयोगार्थ आती रही हैं। प्रशिक्षण के लिये उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालय हेतु क्रय की जाती हैं।

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, कोटा केन्द्र

1. पृष्ठभूमि

संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कोटा केन्द्र की स्थापना अगस्त 1983 में हुई थी। प्रारम्भ में यह केन्द्र लेखा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया था जो अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया करता था। बाद में इसकी गतिविधियों का विस्तार करते हुए यहाँ राज्य, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का दायित्व भी सौंप दिया गया। वर्ष 1997 में अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों के लिये भी लोक प्रशासन, सुशासन, वित्तीय प्रबन्ध, संगठनात्मक व्यवहार, सेवा एवं वित्तीय नियम आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। वर्ष 2004 में कम्प्यूटर लैब स्थापित की गयी।

2. प्रशिक्षण गतिविधियाँ

2010–2011 के दौरान आदिनांक तक 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 260 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. प्रशासन एवं संकाय

संस्थान का प्रशासन संयुक्त निदेशक के अधीन है जो वर्तमान में राजस्थान लेखा सेवा से है। उन्हें सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के नियम 3 (अ) के तहत कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है। उनके कार्यों में सहायता के लिये सहायक निदेशक (लेखा) का एक पद है, जो वर्तमान में रिक्त चल रहा है। केन्द्र में एक आशुलिपिक, एक कनिष्ठ लेखाकार तथा कनिष्ठ लिपिक के दो पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी कार्यरत हैं।

रीपा के कोटा केन्द्र पर प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र की एक इकाई भी कार्यरत है। संयुक्त निदेशक प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र के अतिरिक्त रजिस्ट्रार है।

4. बजट

यह संस्थान अपना बजट, बजट मद ''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर आयोजन मद में ₹ 38.25 लाख आवंटित किये गये जिनके विरूद्ध दिसम्बर 2010 तक ₹ 24.23 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

5. कम्प्यूटर केन्द्र

केन्द्र पर एक कम्प्यूटर लैब है जिसमें 15 कम्प्यूटर लगे हुए हैं जिसमें एक साथ 15–20 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वातानुकूलित कम्प्यूटर कक्ष में एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्मिकों के लिए एक सप्ताह के विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। कम्प्यूटर कक्ष को आई.एस.डी. लेन से जोड़ा गया है जिसकी सहायता से प्रशिक्षणार्थियों को इन्टरनेट में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

6. पुस्तकालय

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान के पुस्तकालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाएं पाठकों के उपयोगार्थ आती रही हैं। प्रशिक्षण के लिये उपयोगी पुस्तकें पुस्तकालय हेतु क्रय की जाती हैं।